न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. रोहित गुप्ता पुत्र श्री निर्मल कुमार,
   (विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता)
   मैसर्सः- गुप्ता सेल्स, कुम्हारवाडा, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, सिरोही
2. मनोहर,
   (खाद्यकाराबारकर्ता एवं विक्रेता)
   मैसर्सः- मां एन्टरप्राइजेज, हिरापुरा प्राईमरी स्कूल के पास, श्री नाथ होटल के सामने, अम्बाजी रोड, आबूरोड, जिला- सिरोही
3. Rishabh Gupta
   अधिकृत प्रतिनिधिः-

फर्मः- AXIOM,
Ward No.15, Rampur Sarsehri Road, Ambaka Cantt-133006

प्रकरण संख्याः 13/2018

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

-: निर्णय :- दिनांक 24 जुलाई, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.9.2017 को समय 11.00 ए.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुप्ता सेल्स, कुम्हारवाडा, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, सिरोही पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति रोहित गुप्ता पुत्र श्री निर्मल कुमार है एवं गुप्ता सेल्स पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) आदि का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango) (Brand Alo Fruit) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में मौजूद खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

30 पैक मूल बोतलों (प्रत्येक एक लीटर) में से Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की 4 मूल पैक बोतल खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/- अदा कर रसीद प्राप्त की। रसीद पर विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य कारोबारकर्ता से खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की सप्लाई प्राप्त होने के बारे में जानकारी चाही तो बिल होना बताया, बिल की प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं. S-747, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) के प्रत्येक नमूना बोतल/पैकेट पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-747 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.9.2017 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.9.2017 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit का नमूना S-747 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन

....पेज तीन पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

एवं मनन कर प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादी अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किंया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 13.11.2018 को प्रतिवादी संख्या-1 (रोहित गुप्ता) उपस्थित हुये, उसके बाद प्रतिवादी संख्या-1 (रोहित गुप्ता) इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 25.2.2019 को प्रतिवादी संख्या-2 (मनोहर) ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया उसके बाद प्रतिवादी संख्या-2 (मनोहर) भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.12.2018, 21.1.2019 व 25.2.2019 को प्रतिवादी संख्या- 3 की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री नदीम बेलिम, सेल्स ऑफिसर, Axiom उपस्थित हुये व प्रतिवादी संख्या- 3 की ओर से दिनांक 17.12.2018 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि फर्म मां एन्टरप्राईजेज, आबूरोड बन्द हो चुकी है व इस प्रकरण में Axiom कम्पनी जवाब देह है और उन्होनें पहले से जुर्माना भरने के लिये आवेदन दे रखा है, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया है कि हमारे उत्पाद की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार "best before given in small letters" जो खाद्य सुरक्षा एवं मानकों (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(10) के विरोधाभाषी है। हमनें इसमें पहले ही सुधार कर लिया है, जिसे बाजार में देख सकते है जिसका समान नमूना प्रस्तुत कर रहे है, अतः नोमिनल पेनल्टी हेतु तैयार है।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 24.7.2019 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित हुये, लेकिन प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की दिनांक 24.7.2019 को बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) के पैकिंग लेबल पर Best before को small letter में दर्शाया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(10) के विरोधाभाष में

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2001 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.9.2017 को 11.00 ए.एम. पर आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स गुप्ता सेल्स, कुम्हारवाडा, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, सिरोही पर गये। वहां उक्त मैसर्स गुप्ता सेल्स पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से रोहित गुप्ता पुत्र श्री निर्मल कुमार उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मैसर्स गुप्ता सेल्स के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री हिमांशु सक्सेना पुत्र श्री राजेन्द्र सक्सेना, निवासी- बडी ब्रह्मपुरी, सिरोही के समक्ष विकेता/खाद्यकारोबारकर्ता रोहित गुप्ता को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की 30 पैक मूल बोतलों (प्रत्येक एक लीटर) में से Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की 4 मूल पैक बोतल (प्रत्येक एक लीटर) क्रय की एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/- (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता रोहित गुप्ता व उक्त गवाह हिमांशु सक्सेना तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-747, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता रोहित गुप्ता व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की चारों खरीद शुदा पैक्ड बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-747 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता रोहित गुप्ता व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को

.....पेज पांच पर

वरि. जिला कलिक्टर
सिरोही-307001.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता रोहित गुप्ता व उक्त गवाह हिमांशु सक्सेना तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स गुप्ता सेल्स, कुम्हारवाडा, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता रोहित गुप्ता से खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.9.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 15.9.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) का नमूना संख्या S-747 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./824/Act/2017/ 823 दिनांक 27.9.2017 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स गुप्ता सेल्स, कुम्हारवाडा, आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता रोहित गुप्ता से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 27.9.2017 के अनुसार उक्त Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) कै पैकिंग लेबल पर Best Before को Small Letter में दर्शाया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(10) का विरोधाभाष है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता रोहित गुप्ता व निर्माता फर्म Axiom को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक:

.....पेज छः पर

मुख्य. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज०)

एफएसएसए/2017/5317-20 दिनांक 18.12.2017 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि प्रतिवादी रोहित गुप्ता ने उक्त Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की एक-एक लीटर की की पैक्ड बोतलों को बिल नम्बर 03 दिनांक 12.7.2017 के द्वारा मैसर्स मां एन्टरप्राईजेज, हिरापुरा प्राईमरी स्कूल के पास, श्रीनाथ होटल के सामने, अम्बाजी रोड, आबूरोड से क्रय किया है, जो कि प्रतिवादी संख्या- 2 की फ़र्म है। प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म मां एन्टरप्राईजेज, हिरापुरा प्राईमरी स्कूल के पास, श्रीनाथ होटल के सामने, अम्बाजीरोड, आबूरोड द्वारा उक्त Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की एक-एक लीटर की पैक्ड बोतलों को फर्म Axiom, Ward no.15 Rampur Sarsehri Road, Ambala Cantt-133006 से इनवोईस नम्बर 3007 दिनांक 11.3.2017 के द्वारा क्रय किया गया है, जो कि उक्त Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) की निर्माता फर्म है। इससे, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Axiom, Ward no.15 Rampur Sarsehri Road, Ambala Cantt-133006 द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, प्रकरण में मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Pulp & Juice (Aloevera+Mango)(Brand Alo Fruit) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म Axiom, Ward no.15 Rampur Sarsehri Road, Ambala Cantt-133006 दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 1 व 2 को आरोप मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी निर्माता फर्म Axiom, Ward no.15 Rampur Sarsehri Road, Ambala Cantt-133006 पर राशि रुपये 11,000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी निर्माता फर्म Axiom, Ward no.15 Rampur Sarsehri Road, Ambala Cantt-133006 को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में उक्त तरह के मिथ्याछाप उत्पाद का विक्रय नही किया जावे। साथ ही, प्रतिवादी निर्माता फर्म प्रतिवादी Axiom, Ward no.15 Rampur Sarsehri Road, Ambala Cantt-133006 के अधिकृत प्रतिनिधि रिषभ गुप्ता को आदेशित को किया जाता है कि

....पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

प्रतिवादी निर्माता फर्म Axiom, Ward no.15 Rampur Sarsehri Road, Ambala Cantt-133006 पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि रुपये 11,000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही